श्री सीताराम केसरी : चूंकि आज प्राइवेट मेम्बर्स डे है, इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा था । उसमें मैं किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट करना नहीं चाहता हूं . . . . (*Interruptions*) पहले आप नान-आफिशियल बिजनेस पर बहस शुरू कर लीजिये ।

—

REFERENCE TO PRIVILEGE MOTION NOTICE AGAINST THE HOME MINISTER—contd.

[The Vice-Chairman, (Shri R. R. Morarka) in the Chair]

श्री सत्यपाल मलिक :श्रीमन (*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, प्रिविलेज मोशन मिनिस्टर के खिलाफ है। (*Interruptions*) सदन में असत्य वचन किये हैं ।

He is on the issue of privilege.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Order, Order. One at a time.

श्री सत्यपाल मलिक : श्रीमन्, मैंने तीन दिन पहले एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध दिया था । उसमें निवेदन यह किया था कि माननीय गृह मंत्री ने पिछली 8 तारीख को बागपत के सिलसिले में बहुत भावावेश में बोलते हुए इरादतन, जान बूझकर यह असत्य बोला था कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप का जिक्र नहीं है । मेरी जानकारी के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट में रेप का स्पेसिफिक जिक्र किया गया है (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Order please. If you want to say anything you will get a chance

श्री सत्यपाल मलिक : मान्यवर, इस सिलसिले में मैंने यह निवेदन किया था कि जितने भी कागजात हैं वे उनको अपने कब्जे में ले लें और उसको कमेटी को रेफर कर दें । माननीय सभापति महोदय ने सदन को बताया कि उन्होंने वह माननीय मंत्री महोदय के पास भेज दिया है उनको अपने बयान को सुधारने का मौका देने के लिये । मेरा यह निवेदन है कि इस सदन में स्पीकर डाइरेक्शन लागू नही है, कायदा कानून कोई नही है । जितना मैंने यहां जानने की कोशिश की मैंने यही महसूस किया कि यहां हम लोग अपंग हैं, सही और कायदे की बाते उठाने के लिये, और मंत्रियों के एरोगेन्स और झूठ को रोकने के लिये कोई नियम नहीं हैं । लोक सभा में स्पीकर डाइरेक्शन पुस्तिका है, उसमें नियम 16 में यह व्यवस्था है कि अगर मंत्री सवालों का जवाब देते वक्त या बहस के दौरान, सप्लीमेंटरी का जवाब देते वक्त, कोई गलत बयानी करता है तो उसको सुधारने के लिये सेक्रेटरी जनरल को लिखा जाना चाहिए और फिर सेक्रेटरी जनरल की इजाजत के बाद अपने बयान में तबदीली करनी चाहिए । यह जो काम है यह एक हफ्ते के अन्दर हो जाना चाहिए । लेकिन अगर यह काम एक हफ्ते के अन्दर नहीं होता है तो उसके बाद फिर चेयर से स्पेशल परमीशन लेनी पड़ेगी । जो रेसीड्यूरी पावर्स हैं मैं उनके तहत आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मैं निवेदन करता हूं कि आपने जो यह मौका दिया है माननीय मंत्री जी को यह उचित काम नही किया है । मेरा यह निवेदन है कि यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव है और इसे तत्काल सदन के सामने लाकर विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय ।